P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-9, ISSUE-3 February -2021
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

टिहरी जिले के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन

Study of Human Rights Awareness among Secondary Level School Teachers of Tehri District

Paper Submission: 02/02/2021, Date of Acceptance: 23/02/2021, Date of Publication: 25/02/2021

दीवान सिंह राणा
गेस्ट फैकल्टी,
शिक्षा विभाग,
हेमवती नन्दन बहुगुणा
गढवाल विश्वविद्यालय,
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
एस0 आर0 टी0 परिसर,
टिहरी, गढवाल, उत्तराखण्ड,
भारत

सुनीता गोदियाल
विभागाध्यक्ष,
शिक्षा विभाग,
हेमवती नन्दन बहुगुणा
गढवाल विश्वविद्यालय,
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
एस0 आर0 टी0 परिसर,
टिहरी, गढवाल, उत्तराखण्ड,
भारत

सारांश

आज के इस भौतिकवादी युग मे मानवाधिकार किसी भी सभ्य समाज के विकास का मूल आधार है। जिसका प्रमुख लक्ष्य प्रत्येक मानव जाति को समाज में उसके व्यक्तित्व, अस्तित्व, सम्मान एवं गरिमा प्रदान करने के साथ–साथ उनकी क्षमताओं का समुचित विकास करना है। शिक्षा प्रकाश का ऐसा जीवन्त स्रोत है जो व्यक्ति को सुखमय जीवन प्रदान करने हेतु निमित्त सच्चा मार्ग प्रदान करती है तथा उसमें मनुष्यता के भाव को जागृत कर उसके जीवन को दिव्य से दिव्यतर बनाती है। शिक्षक समाज तथा शैक्षिक प्रक्रिया का प्रमुख एवं अभिन्न अंग है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य टिहरी जिले के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना है। मानवाधिकार के प्रति जागरुकता को जानने हेतु माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों को उनके लैंगिक कारक– महिला एवं पुरूष, वर्ग यथा विज्ञान एवं कला तथा क्षेत्र–शहरी एवं ग्रामीण को आधार बनाया गया है। शोध विषय को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। शोध कार्य के अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड राज्य में स्थित टिहरी जिले के माध्यमिक स्तरीय स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे 150 शिक्षकों को स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया। आंकडों के संकलन के लिए डॉ0 विशाल सूद तथा डॉ0 आरती आनन्द द्वारा निर्मित एवं प्रमाणीकृत "मानवाधिकार जागरुकता परीक्षण (2014) का उपयोग किया गया। प्राप्त प्रदत्तों को संकलित कर विश्लेषण के लिये विवरणात्मक तथा आनुमानित सांख्यिकीय प्रविधियों मध्यमान, मानक विचलन तथा t–परीक्षण आदि को प्रयोग में लाकर उनकी विवेचना के पश्चात् यह निष्कर्ष प्राप्त हुए की माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता औसतन है। शिक्षकों में उनके वर्ग यथा विज्ञान एवं कला के आधार पर सार्थक अन्तर नही है जबकि उनके क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण एवं लैंगिक कारक महिला एवं पुरूष के आधार पर मानवाधिकार के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर पाया गया ।

In this materialistic era, human rights are the basic foundation for the development of any civilized society. The main goal of which is to give every mankind his personality, existence, honor and dignity in the society as well as to develop their abilities properly. Education is such a living source of light that gives a true path for a person to provide a happy life and awakens the human spirit in it, making his life divine. Teacher is a major and integral part of the society and educational process. The main objective of the present research paper is to study the awareness of human rights among the secondary level school teachers of Tehri district. Secondary level school teachers have been divided on the basis of their gender factors - female and male, classes such as science and arts and field - urban and rural, to know about human rights awareness. Keeping in view the research topic, survey method was used under descriptive method of research.

For the study of research work, 150 teachers working in secondary level schools of Tehri district located in Uttarakhand state were selected as a by stratified random sampling method. Human Rights Awareness Test (2014) created and authenticated by Dr. Vishal Sood and Dr. Aarti Anand was used for compilation of data. After analyzing obtained data by using parametric statistical methods - mean, standard deviation and t-test etc, it was concluded that awareness of human rights among secondary level teachers is average. There is no significant difference among teachers on the basis of their class i.e science and art, while in their area urban and rural and gender factors, female and male based on human rights awareness was found to be significant.

मुख्य शब्द : माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षक, महिला एवं पुरूष, विज्ञान एवं कला, शहरी एवं ग्रामीण तथा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता आदि।
Secondary Level School Teachers, Female and Male, Science or Art, Urban and Rural, Human Rights Awareness etc.

प्रस्तावना

किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण साधन मानव है कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक कि उस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को विकास के सर्वोत्तम अवसर न मिले। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वह अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, प्रत्येक समाज में अपने सदस्यों के बीच सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानूनी तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को नियोजित करने के लिये एक विविध सत्ता का गठन करता है। राष्ट्र अथवा समाज में सामाजिक न्याय तथा सन्तुलन के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार जैसे– शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, नागरिक, कानूनी तथा सांस्कृतिक आदि अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि व्यक्ति के शारीरिक, नैतिक, मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक कल्याण में अनिवार्य रूप से सहायक सिद्ध हुए हैं। इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकता। सामाजिक जीवन की वे दशायें, जो मानव को समाज एवं कानून सम्मत (संविधान के अनुरूप) कार्यो को सम्पादित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे, मानवाधिकार कहलाती है। मानवाधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो मानवीय जीवन में व्यक्ति के अस्तित्व, गरिमा एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और संविधान द्वारा मानव को प्रदत्त किए गए हैं। मानवाधिकार को मूल अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार या जन्मजात अधिकार भी कहा जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार एक गम्भीर एवं महत्वपूर्ण समस्या है। इसके संरक्षण एवं रक्षा के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकार की शिक्षा प्रदान की जाए। जिससे कि व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का सही से पालन कर लोगो को जागरूक कर सके। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों जैसे मुण्डकोपनिषद, स्कन्दपुराण, वेदों आदि में भी मानवाधिकारों का वर्णन मिलता है। इस सन्दर्भ में ''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुःख भाग्वेत्'' एवं "वसुधैव कुटुम्बकम'' जैसी विश्व मानवतावादी विचारधाराओं, जीवन मूल्यों तथा अधिकारों का वर्णन मिलता है। मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा हेतु मानवाधिकार घोषणा–पत्र का मसौदा जनवरी 1947 से लेकर दिसम्बर 1948 के मध्य तैयार हुआ तथा महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल के जन्मदिन पर 10 दिसम्बर 1948 को "सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा–पत्र" के रूप में स्वीकार किया गया। मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संबर्धन हेतु यूनेस्को, यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियाँ भी कार्य करती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों के हनन को रोकना है तथा इनके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है जिससे कि सभ्य समाज के आदर्शों को हासिल किया जा सके ।

वर्तमान परिपेक्ष्य में शिक्षा का स्वरूप दिन–प्रतिदिन परिवर्तित होता जा रहा है। शिक्षा मानव विकास का मूल आधार है। वेबस्टर के अनुसार–" शिक्षा द्वारा मानवीय भावनाओं के अनुशासित संवेगों को नियन्त्रित, उपयुक्त अभिप्रेरणाओं को उत्तेजित एवं श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को विकसित और शुद्ध नैतिकता को समग्र परिस्थितियों के अर्न्तगत संवर्द्धित किया जाता है।" शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में उसकी जन्मजात शाक्तियों का विकास, ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिमार्जन हेतु उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं सुयोग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र या समाज अपनी संस्कृति की रक्षा करता है और सभ्यता के साथ आगे बढ़ता है। जॉन डी0वी0 ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, इस प्रक्रिया में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक को अपने मानवाधिकारों की सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक आज के विद्यार्थियों एवं कल के नागरिकों का निर्माता है उसके सम्पूर्ण कार्य यथा उसकी मानवाधिकार के प्रति जागरुकता, कार्यशैली तथा दृष्टिकोण का समाज पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से प्रभाव पड़ता हैं। शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वाह ठीक प्रकार से कर सके, इसलिये उसके ज्ञान का आधार सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का ज्ञान, उभरती हुई अपेक्षायें ,संवैधानिक लक्ष्य, मूल्य एवं नैतिकता तथा भविष्य मे होने वाले परिवर्तनो के आधार पर समाज के सभी वर्गों में मानव अधिकारों के आदर्श को पुष्पित व विकसित कर सके।

मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है जो व्यक्ति को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। शिक्षा स्वतन्त्रता, बन्धुत्व, समानता, सहयोग, सहकारिता तथा सामाजिक न्याय के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके द्वारा ही व्यक्ति को अपने अधिकारों का बोध होता है। शिक्षा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा ही वह साधन है जो मानव के अधिकारों के पालन के लिए मनुष्य को अन्तःप्रेरित करती है। शिक्षा के द्वारा जिन कार्यों को स्कूल, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में क्रियान्वित किये जाते है उनका वास्तविक कार्यकर्ता शिक्षक है शिक्षक राष्ट्र की सम्पति तथा शिक्षा व्यवस्था का सूत्रधार है इसके साथ–साथ राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक प्रगति भी शिक्षक पर ही निर्भर करती है। शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य एक ऐसे ज्ञान का विकास करना है जिसका व्यवहारिक पक्ष हमारी राष्ट्रीय प्रेरणाओं पर आधारित हो और जिससे शैक्षिक प्रणाली द्वारा मानवीय मूल्यों और नैतिकता का विकास भी हो सके ।

साहित्यावलोकन

शोधकर्त्ता ने मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सम्बन्धित कई अध्ययन किये परन्तु शोधकर्त्ता ने अनुभव किया कि शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का होना आवश्यक है जिससे वे भविष्य में स्वयं मानवाधिकार के प्रति सजग, सर्तक एवं जागरुक होकर समाज को लाभान्वित करें। इसलिए शोधकर्ता द्वारा इस विषय को नवीन एवं महत्वपूर्ण समझा गया तथा शोधकार्य हेतु चयनित किया। प्रस्तुत शोध कार्य में माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

जमवाल, पी0 (2007) ने "हिमांचल प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयी शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन" किया और निष्कर्ष

प्राप्त किया कि प्राथमिक विद्यालयी शहरी शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता ग्रामीण शिक्षकों से अधिक है।

दीक्षित, ए0के0 (2010) ने "मानवाधिकार एवं शिक्षा के सन्दर्भ" में बताया कि मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता में शिक्षक की अहम भूमिका होती है क्योंकि शिक्षक द्वारा ही विद्यार्थी के बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान में कार्य किये जाते हैं।

पालीवाल, एन0 (2010) ने "माध्यमिक विद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा पर तुलनात्मक अध्ययन" किया और निष्कर्ष स्वरूप पाया कि मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता का अध्ययन करने से शिक्षकों एवं छात्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसके लिए विद्यालय में मानवाधिकारों को प्रोत्साहन हेतु विभिन्न संस्थाओं को वर्कशॉप, सेमिनार तथा सम्मेलन का आयोजन करें।

कटोच, एस0के0 (2012) ने "हिमाचल प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का अध्ययन" किया और पाया कि पुरुष प्रशिक्षुओं की अपेक्षा महिला प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता कम है तथा शहरी माध्यमिक प्रशिक्षुओं की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता ग्रामीण माध्यमिक प्रशिक्षुओं से अधिक है।

दयाल, जे0 के0 और कौर, एस0 (2015) ने "पी0एस0ई0बी0 तथा सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत् अध्यापकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन" किया और निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए–(अ) सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत् अध्यापकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता पी0एस0ई0बी0 से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत् अध्यापकों से अधिक है । (ब) सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत् पुरूष अध्यापकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता महिला अध्यापकों से अधिक पाई गई है।

शशिकला, वी0 तथा फ्रॉसिस्को, एस0 (2016) ने "महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन" किया और पाया की कला वर्ग के महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता विज्ञान वर्ग के महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों से अधिक है।

राणा, डी0एस0 (2017) ने "बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन" किया और पाया की पुरूष बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों से अधिक है तथा कला वर्ग के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता विज्ञान वर्ग के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों से कम है।

शर्मा, एम0 (2017) ने "शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन" किया और निष्कर्ष स्वरूप पाया कि शिक्षकों में मानवाधिकार के विभिन्न क्षेत्रों जैसे– समानता, न्याय, नागरिकता, राष्ट्रीयता, बालकों, महिलाओं एवं विवाह से सम्बन्धित आधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर हैं जबकि राजकीय तथा निजी विद्यालयों के शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं हैं। उपरोक्त सन्दर्भित शोध अध्ययनों से विदित होता है कि मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता का कई परिप्रेक्ष्यों में अध्ययन किया गया है, किन्तु कोई भी अध्ययन उत्तराखण्ड राज्य में स्थित टिहरी जिले के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता पर नहीं किया गया है। इसलिए शोधार्थी नें प्रस्तुत विषय पर शोध कार्य करना सुनिश्चित किया।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं–

1. महिला एवं पुरूष माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. कला एवं विज्ञान वर्ग के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनायें

1. महिला एवं पुरूष माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. कला एवं विज्ञान वर्ग के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अनुसन्धान कार्य विधि

प्रस्तुत शोध विषय को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने वर्णनात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि के पदों का अनुकरण किया है ।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड राज्य में स्थित टिहरी जिले के चम्बा ब्लॉक के माध्यमिक स्तरीय स्कूलों में अध्यापन कर रहे 150 शिक्षकों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा किया गया।

अध्ययन हेतु उपकरण

शोध अध्ययन हेतु नवीन तथा अज्ञात तत्व संकलित करने के लिए शोधकर्त्ता द्वारा मानवाधिकार के प्रति जागरुकता जानने के लिए डॉ0 विशाल सूद तथा डॉ आरती आनन्द (2014) द्वारा निर्मित एवं प्रमाणीकृत "मानवाधिकार जागरुकता परीक्षण (HRAT) उपकरण का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत परीक्षण में 50 कथन हैं जिनकी प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक हैं। जिन्हें निम्न तीन आयामों क्रमशः – मानवाधिकारों सम्बन्धित विषय वस्तु की जानकारी, मानवाधिकारों सम्बन्धी सम्प्रत्ययों एवं सिद्धान्तों की जानकारी और समझ तथा मानवाधिकारों की अपेक्षा /हनन सम्बन्धी परिस्थितियों की समझ पर निर्मित किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण, व्याख्या एवं परिणाम

प्रस्तुत शोध कार्य में प्राप्त प्रदत्तों के सारणीयन एवं वर्गीकरण के उपरान्त प्रदत्तों पर उचित सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग से उनका विश्लेषण एवं विवेचना की गई।

सारणी संख्या –01

महिला एवं पुरूष माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मूल्य	सारणी में t- मूल्य	सार्थकता स्तर
महिला	75	80.61	3.528	5.17	2.63	0.01 स्तर पर सार्थक
पुरूष	75	77.28	4.531			

स्वतन्त्रता अंश (df) – 73 पर

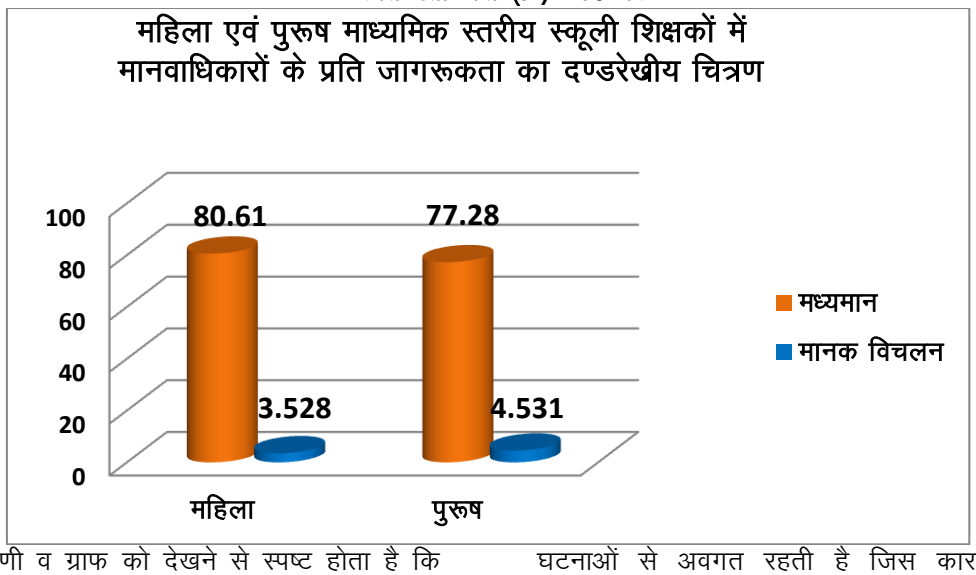

सारणी व ग्राफ को देखने से स्पष्ट होता है कि महिला माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 80.61 व 3.528 है तथा पुरूष माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 77.28 व 4.531 है। महिला एवं पुरूष माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना हेतु t–परीक्षण की गणना की गई जिसके आधार पर t–मूल्य का मान 5.17 पाया गया जो सारणी में स्वतन्त्रता अंश 73 पर 0.01 विश्वास स्तर पर निर्धारित t–मूल्य का मान 2.63 से अधिक है। अतः दोनों समूहों में 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर पाया है। इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि महिलायें अपने कार्यस्थलों पर बढ रहे अत्याचारों, हिंसा, शोषण तथा अमानवीय व्यवहारों आदि के सन्दर्भ में बढती घटनाओं से अवगत रहती है जिस कारण वे महिला आधिकारों की सैद्धान्तिक एवं व्यवाहारिक रूप से जानकारी के लिये अभिप्रेरित रहती हैं तथा साथ ही सरकार द्वारा भी महिला आधिकारों तथा उनके संरक्षण के प्रावधानों एवं उपयोग सम्बन्धी विषयों की सैद्धान्तिक जानकारी भी समय–समय पर सोशल मीडिया जैसे– समाचार पत्र, टी0वी0, इन्टरनेट, मोबाइल आदि के माध्यम से दी जाती है जिससे महिलायें अपने आधिकारों के प्रति व्यवहारिक रूप से भी जागरूक होती है जबकि पुरूषों के सन्दर्भ में इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। अतः शोधार्थी द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या – 01 ''महिला एवं पुरूष माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता'' 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

सारणी संख्या – 2

कला एवं विज्ञान वर्ग के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मूल्य	सारणी में t- मूल्य	सार्थकता स्तर
कला	75	78.92	6.606	0.112	2.63	0.01 स्तर पर असार्थक
विज्ञान	75	78.80	6.116			

स्वतन्त्रता अंश (df) – 73 पर

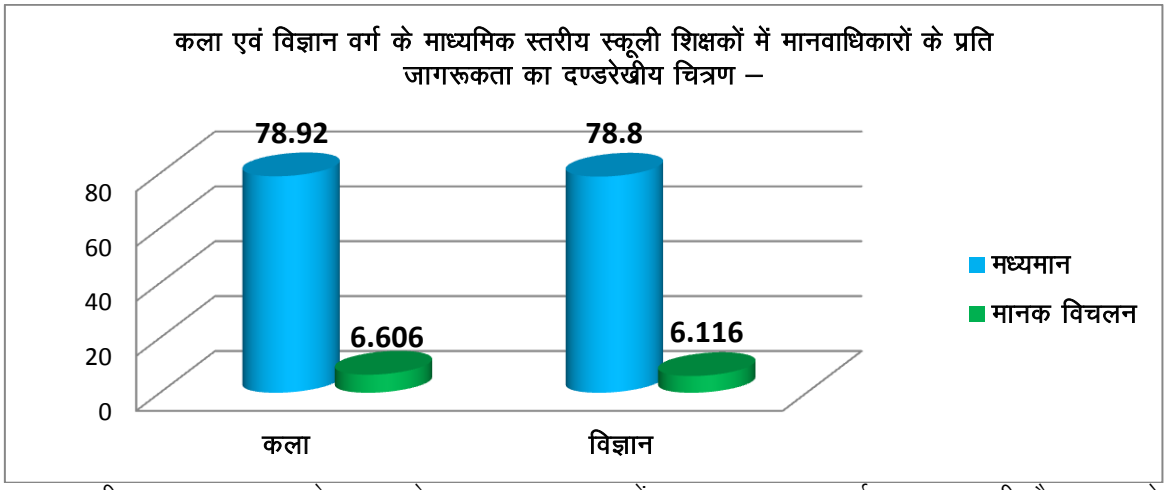

सारणी व ग्राफ का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कला वर्ग के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 78.92 व 6.606 है तथा विज्ञान वर्ग के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 78.80 तथा 6.116 है। कला एवं विज्ञान वर्ग के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना हेतु t–परीक्षण की गणना की गई जिसके आधार पर t–मूल्य का मान 0.112 पाया गया, जो सारणी में स्वतन्त्रता अंश 73 पर 0.01 विश्वास स्तर पर निर्धारित t–मूल्य के मान 2.63 से कम है। अतः दोनों समूहों में 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है। अतः शोधार्थी द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या – 02 कला एवं विज्ञान वर्ग के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना 0.01 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है। अतः दोनों समूहों में 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर नही है। अतः शोधार्थी द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या – 02 कला एवं विज्ञान वर्ग के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना 0.01 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है। यह सम्भवतः इसलिये हैं क्योंकि दोनों वर्गो यथा विज्ञान तथा कला वर्ग के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षक एक जैसे विद्यालयी परिवेश में सहयोग की भावना से शिक्षण कार्य करते हैं एवं लगभग साथ–साथ रहते हैं तथा सभी के साथ आपस में विभिन्न अधिकारों जैसे– सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानूनी तथा सांस्कृतिक आदि के विषय में चर्चा एवं विचार–विमर्श करते है अर्थात् एक–दूसरे को अधिकारों के प्रति जागरुक करते रहते हैं। अतः यह शून्य परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई। अतः कहा जा सकता हैं कला एवं विज्ञान वर्ग के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता समान हैं।

सारणी संख्या – 3

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मूल्य	सारणी में t- मूल्य	सार्थकता स्तर
शहरी	75	80.72	3.828	5.606	2.63	0.01 स्तर पर सार्थक
ग्रामीण	75	77.02	4.227			

स्वतन्त्रता अंश (df) – 73 पर

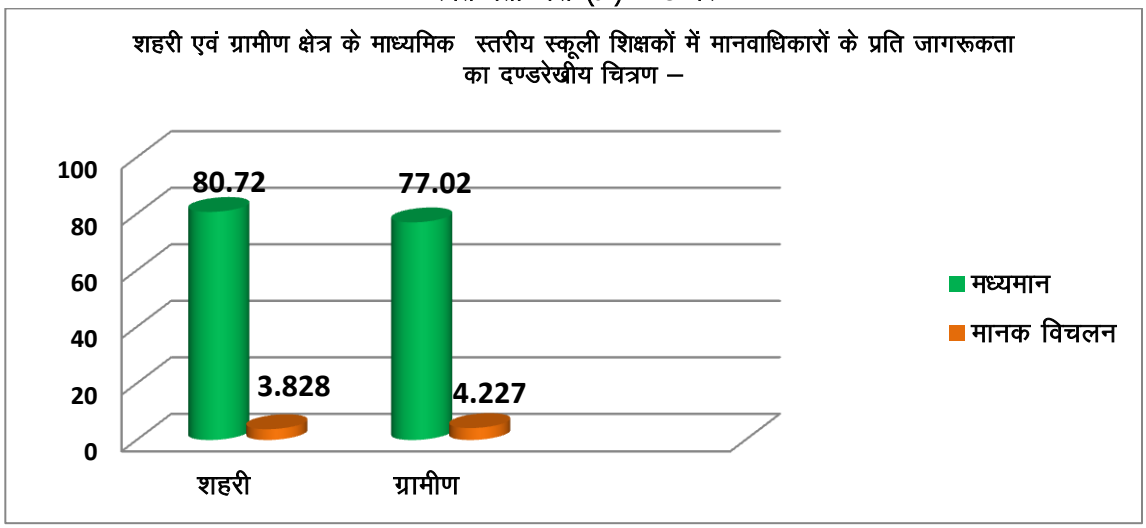

सारणी व ग्राफ से स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 80.72 व 3.828 है तथा ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 77.02 तथा 4.227 है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में तुलना हेतु t–परीक्षण की गणना की गई जिसके आधार पर t–मूल्य का मान 5.606 पाया गया जो सारणी में स्वतन्त्रता अंश–73 पर 0.01 विश्वास स्तर पर निर्धारित t–मूल्य का मान 2.63 से अधिक है। अतः दोनों समूहों में 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर है। अतः शोधार्थी द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या–03 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज के परिपेक्ष्य में शहरों में दिन–प्रतिदिन हो रहे अत्याचार, घरेलू हिंसा, शोषण तथा अमानवीय व्यवहारों की घटनायें बढती ही जा रही है जिस कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकारों के उल्लंघन व पालन की समझ के लिये समय– समय पर सरकारी तथा गैर –सरकारी संस्थानों द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रावधानों एवं उपयोग सम्बन्धी सेमिनारों, वर्कशाप का आयोजन किया जाता है जिससे शहरी शिक्षक अपने आधिकारों कि सैद्धान्तिक जानकारी के साथ–साथ व्यवहारिक रूप से जागरूक होने के लिये सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा अपने आधिकारों के विषय में विचार–विमर्श करते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी कार्यक्रमों का अभाव रहता है जिस कारण ग्रामीण शिक्षक मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के सम्बन्ध में जानकारी नहीं ले पाते हैं। अतः शोधार्थी द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या – 03 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य टिहरी जिले के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना था। निष्कर्षो से निम्न तथ्य ज्ञात हुये जो इस प्रकार से है–

1. महिला माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पुरूष माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों से अधिक है। अतः दोनों समूहों में सार्थक अन्तर पाया गया है।
2. कला एवं विज्ञान वर्ग के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात दोनों समूहों के शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता समान रूप में हैं। क्योंकि दोनों समूहों के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षक एक जैसे विद्यालयी परिवेश में सहयोग की भावना से शिक्षण कार्य करते हैं एवं लगभग साथ–साथ रहते हैं तथा सभी के साथ आपस में विभिन्न अधिकारों जैसे– सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानूनी तथा सांस्कृतिक आदि के विषय में चर्चा एवं विचार–विमर्श करते है अर्थात् एक–दूसरे को अधिकारों के प्रति जागरुक करते रहते हैं।
3. शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों से अधिक है। अतः दोनों समूहों में सार्थक अन्तर है।

टिहरी जिले के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता औसत स्तर तक पायी गयी है, परन्तु समाज की वर्तमान परिस्थितियो और मानव अधिकारों के हनन तथा शोषण को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह जागरूकता सिर्फ सैद्धान्तिक हैं अर्थात् जानकारी तक ही सीमित है। इस जागरूकता को व्यवहारिक बनाने के लिए वर्तमान में मानवाधिकार शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्र के नागरिक एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकें और अपने आधिकारों के प्रति जागरूक, सजग तथा सर्तक हो सकें।

सुझाव

वैदिककालीन शिक्षा पद्धति से लेकर वर्तमान शिक्षा पद्धति तक शिक्षा में काफी परिवर्तन हुये है। वर्तमान में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता लाने के लिये मानवाधिकार शिक्षा की सैद्धान्तिक जानकारी के साथ –साथ व्यवहारिक रूप से विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्मलित किया जाना चाहिये । शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को समय–2 पर मानवाधिकारों से सम्बन्धित कार्यक्रमों जैसे– सेमिनार, वर्कशॉप, सम्मेलनों में सक्रिय रूप से सम्मिलित होकर स्वयं तथा समाज को जागरूक करना चाहिये जिससे कि वे मानवाधिकारों के हनन सम्बन्धी मामले में स्वप्रेरित होकर दूसरों को अभिप्रेरित करें एवं मानवाधिकारों का सही उपयोग करना सीखें। अधिकारों के साथ–साथ शिक्षकों को समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझनें में सहायता मिलेगी। शिक्षक अपने अधिकारों के हनन को रोकने के लिए उचित कार्यवाही कर सकेंगें। जिससे देश तथा समाज की उन्नति में सहायता मिलेगी क्योंकि सम्पन्न एवं खुशहाल नागरिक ही देश की पहचान होती है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर महिलाओं को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने तथा जागरूक बनाने के लिए सेमिनार, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों तथा लघु नाटिकाओं के माध्यम से मानवाधिकार के हनन को रोकने के लिए कौन सी उचित कार्यवाही की जा सकती है।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शिक्षा जगत के माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। जिसके द्वारा माध्यमिक स्तर पर अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सम्बन्धी विचारों को जानने तथा उचित दिशा एवं जागरुक प्रदान करने के लिए एक प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षकों को आने वाले समय के

लिए मानवाधिकारों के प्रति सजग एवं जागरुक बनाया जाये जिससे कि वे उन्नति करके सन्तुलित समाज की स्थापना कर सके तथा साथ ही साथ उनकों समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को व्यवहारिक रुप में समझने में सहायता प्राप्त हो सके। इसके साथ–साथ शिक्षक मानवाधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक होकर विद्यार्थियों मे मानवाधिकारों के प्रति सार्वभौमिक उत्कण्ठा जागृत कर आमलोगों के प्रति सहृदयता विकसित करें जिससे भविष्य में मानवाधिकारों का हनन एवं उल्लंघन न हो। मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू करके विद्यार्थियों को इस तथ्य से अवगत करायें जिससे कि शिक्षक विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का भाव जागृत कर सक्रिय नागरिक के रूप में विकसित कर सकें। व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो तभी मानवाधिकारों की सुरक्षा सम्भव है। आज शिक्षकों द्वारा स्वयं मानवाधिकारों हेतु जागरूक हो विद्यार्थियों तक यह जागरूकता प्रसारित करने की आवश्यकता है। जिससे वे राष्ट्र, समाज तथा अपनी उन्नति करके संतुलित एवं अच्छे समाज की रचना में भागीदार हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *कटोच,एस0के0 (2012): "हिमांचल प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार का अध्ययन" हिमालयन जनरल ऑफ कान्टेम्पोरेरी रिसर्च आई0 एस0 एस0 एन0 2319 – 3174 वाल्यूम (1), अंक–2, जुलाई –दिसम्बर (2012)।*
2. *कपूर,एस0के0 (2010): "मानवाधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि", सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, 2010, पृ0 690–691।*
3. *कुलश्रेष्ठ, एस0 (2003): "अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्ति और मानवाधिकार" ए जर्नल आफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट मुरैना, वाल्यूम (3), अंक 4, अक्टूबर–दिसम्बर 2003 पृ0 289।*
4. *जमवाल, पी0 (2007) : "हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयी शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन" लघु शोध एम0 फिल0, अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु, 2007।*
5. *दयाल, जे0 के0 और कौर, एस0,(2015) : "पी0एस0ई0बी0 तथा सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत् अध्यापकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन" इन्डियन जरनल ऑफ रिसर्च, आई0एस0एस0एन0–2250–1991, 4 (4), अप्रैल 2015, पृ0 4–6।*
6. *दीक्षित, ए0के0 (2010): "मानवाधिकार और शिक्षा", नई शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका, जयपुर, वर्ष (59), अंक–6, जनवरी 2010, पृ0 20–22।*
7. *दुबे, आर0 (2014): "मानवाधिकार तथा महिला जागरुकता" ए जर्नल आफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट, मुरैना, वाल्यूम (14), अंक–001, 2014 पृ0 149–152।*
8. *बेस्ट जॉन डब्ल्यू0, (1982): "रिसर्च इन एजूकेशन", प्रेन्टाइस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लि0, न्यू दिल्ली, 1982।*
9. *मल्होत्रा,एम0 (2013) : "महिला अधिकार और मानव अधिकार", ज्ञान गंगा प्रकाशक, भानु प्रिंन्टर्स,दिल्ली, पृ0संख्या– 136–137।*
10. *राणा, डी0 एस0 (2017) "बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन" पीरिओडिकरिसर्च जरनल, वॉल्यूम–5;अंक(2), मई 2017, आई0एस0एस0एन0एन0:पी0–2231–0045, ई0–2349–9435 पृ0 सं0114–119।*
11. *शर्मा,एम0 (2017) : "शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन" रिमारकिंग एन एनालाइजेशन रिसर्च जनरल, वॉल्यूम–2,अंक(9),दिसम्बर–2017,आई0एस0एस0 एन0एन0:पी0–2394–0344,ई0–2455–0817 पृ0 सं0132–138।*
12. *शर्मा, आर0ए0, शिक्षा अनुसन्धान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, आर0 लाल बुक डिपो मेरठ, 2013।*
13. *शशिकला, वी0 तथा फ्रांसिस्को, एस0 (2016) : "महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन" इन्टरनेशल जरनल ऑफ टीचर एजूकेशन रिसर्च (आई0जे0टी0ई0आर0) वॉल्यूम– 5, नं0(3), मार्च–अगस्त 2016, पृ0 45–49, www.ijter.com*
14. *सिंह, आर0 एच0, पन्त, पी0 तथा लोहनी, एस0 (2016) : "मानवाधिकार शिक्षा और वैश्वीकरण, एशियन जनरल ऑफ एडूकेशनल रिसर्च एण्ड टेक्नोलोजी, वॉल्यूम–6,अंक(1),आई0एस0एस0एन0एन0 :पी0–2249–7374,ई0–2347–4947पृ0 सं0137–140।*